

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं० 22 / 2025

श्री कंवरपाल सिंह , खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री हर्ष कुमार पुत्र श्री पवन कुमार
मैसर्स :- गणपति ट्रेडिंग कम्पनी, वार्ड नम्बर 10, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के सामने सादुलशहर श्रीगंगानगर।
--(विक्रेता एवं प्रोपराईटर)--
2. श्री महावीर सिंह
मैसर्स विनोद एण्ड कम्पनी, 25 ट्रक टर्मिनल, बासनी 2 फेज, जोधपुर।
--(उत्तरदायी व्यक्ति) --

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51

:: निर्णय ::

दिनांक : 02.05.2025

सक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी श्री कंवर पाल सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी, का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 02.12.2022 के गजट में भाग 1(ख) पर प्रकाशित हुआ है एवं परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय राज. जयपुर के आदेश क्रमांक:-एफएसएसए/2022/6235 दिनांक 22.12.2022 के अनुसार जिला श्रीगंगानगर किया गया एवं संसोधित आदेश क्रमांक:-आयुक्ता०/खासुऔनि/संस्था/2022/6360 दिनांक 26.12.2022 है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

श्री कंवरपाल सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 26.08.2024 को दोपहर बाद 4.30 पी.एम को मैसर्स गणपति ट्रेडिंग कम्पनी, वार्ड नम्बर 10, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के सामने सादुलशहर श्रीगंगानगर पर पहुंचा। मौके पर विक्रेता श्री हर्ष कुमार पुत्र श्री पवन कुमार (विक्रेता एवं प्रोपराईटर) , को अपना परिचय देकर संस्थान का निरीक्षण किया। संस्थान की स्टोर पर एक कार्टून के अन्दर 30 नग 500-500 एमल (452.5 ग्राम) खाद्य पदार्थ गांय का घी (वृजवाषी ब्राण्ड) के बारे में जानकारी चाही इस पर विक्रेता ने स्वयं को दुकान का (विक्रेता एवं प्रोपराईटर) होना बताया तथा संस्थान की स्टोर पर एक कार्टून के अन्दर 30 नग 500-500 एमल (452.5 ग्राम) खाद्य पदार्थ गांय का घी (वृजवाषी ब्राण्ड) को आमजन के बेचान वास्ते होना बताया। इसी गांय का घी (वृजवाषी ब्राण्ड) में मिलावट का शक होने पर विक्रेता से गांय का घी (वृजवाषी ब्राण्ड) का नमूना जांच वास्ते लेने की इच्छा विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर देते हुए वरवक्त मौके पर ही विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहान के व मैने हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 5 ए न्याय निर्णयन के साथ सलंग्न है।



3
अति० जिला कलेक्टर (प्रशास०)
श्रीगंगानगर

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान का निरीक्षण आम जनता के विक्रय हेतु उपलब्ध खाद्य पदार्थ गांय का घी (वृजवाषी ब्राण्ड) एक कार्टून के अन्दर 30 नग 500-500 एमल (452.5 ग्राम) में से (452.5 gm x 452.5 gm= 1810 gm) के चार मूल शील्ड जार पैको कुल 1 किलो 810 ग्राम वजनी को विक्रेता से खरीद कर लिया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त कयशुदा गांय का घी (वृजवाषी ब्राण्ड) का नगद भुगतान 700/- रूपये किया तथा केशमीमो बनावकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर है और मेरे भी हस्ताक्षर है। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ सलंग्न है।


आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री हर्ष कुमार पुत्र श्री पवन कुमार (विक्रेता एवं प्रोपराईटर) एवं गवाहान ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक श्री हर्ष कुमार पुत्र श्री पवन कुमार (विक्रेता एवं प्रोपराईटर) को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म नम्बर 5ए मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा गांय का घी (वृजवाषी ब्राण्ड) (452.5 gm x 452.5 gm= 1810 gm) के चार मूल शील्ड जार पैको कुल 1 किलो 810 ग्राम वजनी के चार-चार पैक पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड व क्रमांक के-2438 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग-अलग मोटे खाकी कागज में लपेट कर शिरो को सफाई से मोडकर गोद से चिपकाया तथा प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर रिलिफ के-2438 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार 4-4 जगह सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर रिलिफ व रेपर दोनो पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं के आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर श्री हर्ष कुमार पुत्र श्री पवन कुमार (विक्रेता एवं प्रोपराईटर) एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हेल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।




अति० जिला कलेक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

ऑन लाईन नं.GCMS2025/61

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक-एलएस/1053/एक्ट/2024/1053 दिनांक 05.09.2024 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना के-2438 Sub-standard Food होना पाया गया। इस पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त श्री हर्ष कुमार पुत्र श्री पवन कुमार (विक्रेता एवं प्रोपराईटर) मैसर्स गणपति ट्रेडिंग कम्पनी, वार्ड नम्बर 10, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के सामने सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर द्वारा Sub-standard Food, Cow Ghee का विक्रय किये जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(ii)/51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 27.03.2025 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थी वार्ड नम्बर 10 सादुलशहर का निवासी है जिसकी दुकान नम्बर 105 तहबाजारी सादुलशहर में श्री गणपति ट्रेडिंग कम्पनी, के नाम से वार्ड नम्बर 10, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के सामने सादुलशहर पर स्थित है तथा प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस क्रमांक 461 दिनांक 01.04.2025 को दिया कि आपकी दुकान में गांय का घी की जांच की गई तो खाद्य पदार्थ में पाया गया है। प्रार्थी द्वारा उक्त गांय के घी में सुधार कर लिया गया है। भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद को आज रोज निस्तारण किया जावें। लिहाजा जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी का वाद का आज ही निस्तारण किया जावें।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया गांय का घी (वृजवाषी ब्राण्ड) जांच रिपोर्ट क्रमांक:-एलएस/1053/एक्ट/2024/1053 दिनांक 05.09.2024 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना के-2438 Sub-standard Food. होना पाया गया, उक्त जांच रिपोर्ट पर अविश्वास का कोई कारण नहीं है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी पर अधिक से अधिक जुर्माना जो धारा 51 में निर्धारित है लगाया जावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में जवाब में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस क्रमांक 461 दिनांक 01.04.2025 को दिया कि आपकी दुकान में गांय का घी की जांच की गई तो खाद्य पदार्थ में पाया गया है। प्रार्थी द्वारा उक्त गांय के घी में सुधार कर लिया गया है। भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद को आज रोज निस्तारण किया जावें। लिहाजा जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना



अति० जिला कलेक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

ऑन लाईन नं.GCMS2025/61

जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी का वाद का आज ही निस्तारण किया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of "Cow Ghee" bearing Code No and Sr. No. K-2438, of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Sub-standard Food as it not derived exclusively from milk or products obtained from milk as it contains foreign fat (Fatty acid profile of sample does not match with the fatty acid profile of ghee.) The sample is also contravenes Regulation No.2.3.7.(2) of food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulations,2011 due to presence of foreign fat.की जाँच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त श्री हर्ष कुमार पुत्र श्री पवन कुमार (विक्रेता एवं प्रोपराईटर) को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त श्री हर्ष कुमार पुत्र श्री पवन कुमार (विक्रेता एवं प्रोपराईटर) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रुपये 6000-00 (अखरे रुपये छः हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में श्री हर्ष कुमार पुत्र श्री पवन कुमार (विक्रेता एवं प्रोपराईटर) खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 02.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सुभाष कुमार)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्री गंगानगर